प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—क आरटीए रास्ता स्वीकृति बावत

—:: उपस्थित अभिभाषकगण ::—

2

1. श्री जगराज सिंह भारी	प्रार्थीगण
2. श्री शैलेन्द्र बिश्नोई	अप्रार्थी सं. 1 व 2
3. जरिये सरकार तहसीलदार पीलीबंगा	अप्रार्थी संख्या 5

—:: निर्णय ::—

दिनांक :— 29/01/2026

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—क आरटीए रास्ता स्वीकृती बावत प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि —यह कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण का पंजीकृत पता वहीं है जो उक्त प्रार्थना पत्र के शीर्षक में अंकित है। प्रार्थी सं. 4 नाबालिग है जिसके पिता का स्वर्गवास हो चुका है जिसकी माता ने अन्यत्र शादी कर ली है जिसका लालन पालन प्रार्थीया सं. 3 कर रही है इसलिये प्रार्थी सं. 4 की सरंक्षक प्रार्थीया सं. 3 ही है।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2026.03.24 16:22:00 IST
Reason: SelfAttested

यह कि प्रार्थीगण के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 23 एमओडी – प्रथम के खाता सं. 11/54 के प.नं. 2/268 (26) किला नं. 1 ता 20, 21/1, 21/2, 22/1, 22/2, 23/1, 23/2, 24/1, 24/2, 25/1, 25/2 की 6.211 हैक. नहरी मय रास्ता खातेदारी मुताबिक हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड वाके है। प्रमाणित प्रति जमाबंदी सलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि अप्रार्थी सं. 1, 2 के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 23 एमओडी– प्रथम के खाता सं. 23/39 के प.नं. 2/266 (13) किला नं. 16 ता 25, प.नं. 2/267 (18) किला नं. 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1, 6 ता 20, 21/1, 21/2, 22/1, 22/2, 23/1, 23/2, 24/1, 24/2, 25/1, 25/2, प.नं. 3/268 (27) किला नं. 16/1, 16/2, 17/1, 21/1, 21/2, 22/1, 22/2, 23/1, 23/2, 24/1, 24/2, 25/1, 25/2 की कुल 10.244 है. नहरी अनकमांड मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी मुताबिक हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड वाके है। प्रमाणित प्रति जमाबंदी सलंन है ।

यह कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि चक 23 एमओडी – प्रथम के खाता सं. 11/54 के प.नं. 2/268 (26) किला नं. 21/2, 2212, 2312, 2412, 25/2 में 0.025–0.025 हैक. गैर मुमकिन रास्ता दर्ज राजस्व रिकार्ड है। मौका पर उक्त रास्ता के स्थान पर खाला चल रहा है। पूर्व में भी सं. 2027 – 2030 व स. 2035–2044 की जमाबंदी में उक्त रास्ता के स्थान पर खाला दर्ज राजस्व रिकार्ड है। राजस्व कर्मचारीयों की गलती की वजह से खाला के स्थान पर रास्ता दर्ज हो गया है न ही मौका पर रास्ता चालू है। रास्ता में दर्ज कृषि भूमि में मौका पर खाला चल रहा है व न ही उक्त रास्ता से किसी भी प.नं. के रास्ता से मिलान होता है। मात्र राजस्व रिकार्ड में ही रास्ता दर्ज है। प्रमाणित प्रति जमाबंदी सं. 2027–2030 व सं. 2035–2044 सलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि प्रार्थी सं. 2 के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 23 एमओडी प्रथम के खाता सं. 68/53 के प.नं. 3/268 (27) किला नं. 1, 10 की 0.506 हैक. नहरी खातेदारी कृषि भूमि दर्ज रिकार्ड वाके है । प्रमाणित प्रति जमाबंदी सलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि प्रार्थीगण के पास अपनी भुमि में आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण अपनी भुमि में आने जाने के लिए अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 के नाम दर्ज कृषि भूमि में से चक 23 एमओडी – प्रथम के प.नं. 2/267 (18) किला नं. 1/1 में 0.020 हैक. व किला नं. 10, 11, 20 प्रत्येक में 0.025–0.025 हैक. व किला नं. 21/1 में 0.022 हैक. बजानिब पश्चिम दिशा में उतर से दक्षिण लम्बा रास्ता से होता हुआ अपनी कृषि भूमि के किला नं. 1 में प्रवेश करते है । उक्त रास्ता मौका पर चालू है। उक्त रास्ता से ही प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि में आना जाना करते है व कृषि औजार लाते व ले जाते है । उक्त रास्ता के अलावा प्रार्थीगण के पास अन्य कोई निकटतम व सुविधाजनक रास्ता नही है । इसलिये प्रार्थीगण अप्रार्थी सं. 1, 2 के नाम दर्ज उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में से चक 23 एमओडी – प्रथम के प.नं. 2/267 (18) किला नं. 1/1 में 0.020 हैक. व किला नं. 10, 11, 20 प्रत्येक में 0.025–0.025 हैक. व किला नं. 21/1 में 0.022 हैक. बजानिब पश्चिम दिशा में उतर से दक्षिण लम्बा रास्ता को स्वीकृत करवाने के हकदार है तथा रास्ता में आई कृषि भूमि के बदले प्रार्थीगण डीएलसी दर की दौगुना राशि अप्रार्थी सं. 1, 2 को देने के लिए तैयार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2026.03.24 16:22:00 IST
Reason: SelfAttested

यह कि अप्रार्थी सं. 3, 4 जो कि बैंक है उसके यहां भूमि रहन होने के कारण पक्षकार बनाया गया है व अप्रार्थी सं. 5 जो कि भू धारक है जिनकी मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता स्वीकृत होना है इसलिये उसे आवश्यक पक्षकार बनाया है।

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

यह कि प्रार्थना पत्र श्रीमान् न्यायालय के क्षेत्राधिकार एंव श्रवणाधिकार का है जो उचित कोर्ट फीस पर तहरीर एवं अन्दर मियाद है।

अतः सशोंधित प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी सं. 1, 2 के नाम दर्ज उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में से चक 23 एमओडी – प्रथम के प.नं. 2/267 (18) किला नं. 1/1 में 0.020 हैक. व किला नं. 10, 11, 20 प्रत्येक में 0.025 – 0.025 हैक. व किला नं. 21/1 में 0.022 हैक. बजानिब पश्चिम दिशा में उतर से दक्षिण लम्बा रास्ता को स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1व 2 की ओर से श्री शेलेन्द्र बिश्नोई हाजिर होकर वकालतनामा प्रस्तुत किया गया उभय पक्ष के मध्य राजीनामा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी गण द्वारा प्रस्तुत किया गया राजीनामा उभय पक्ष निम्नप्रकार से है–

यह कि प्रार्थीगण के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 23 एमओडी–प्रथम के खाता सं. 11/54 के प.नं. 2/268 (26) किला नं. 1 ता 20, 21/1, 21/2, 22/1, 22/2, 23/1, 23/2, 24/1, 24/2, 25/1, 25/2 की 6.211 हैक. नहरी मय रास्ता खातेदारी मुताबिक हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड वाके है ।

यह कि अप्रार्थी सं. 1, 2 के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 23 एमओडी– प्रथम के खाता सं. 23/39 के प.नं. 2/266 (13) किला नं. 16 ता 25, प.नं. 2/267 (18) किला नं. 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1, 6 ता 20, 21/1, 21/2, 22/1, 22/2, 23/1, 23/2, 24/1, 24/2, 25/1, 25/2, प.नं. 3/268 (27) किला नं. 16/1, 16/2, 17/1, 21/1, 21/2, 22/1, 22/2, 23/1, 23/2, 24/1, 24/2, 25/1, 25/2 की कुल 10.244 हैक. नहरी अनकमांड मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी मुताबिक हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड वाके है।

यह कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि चक 23 एमओडी – प्रथम के खाता सं. 11/54 के प.नं. 2/268 (26) किला नं. 21/2, 22/2, 23/2, 24/2, 25/2 में 0.025–0.025 हैक. गैर मुमकिन रास्ता दर्ज राजस्व रिकार्ड है। मौका पर उक्त रास्ता के स्थान पर खाला चल रहा है। पूर्व में भी सं. 2027–2030 व सं. 2035 2044 की जमाबंदी में उक्त रास्ता के स्थान पर खाला दर्ज राजस्व रिकार्ड है। राजस्व कर्मचारीयों की गलती की वजह से खाला के स्थान पर रास्ता दर्ज हो गया है न ही मौका पर रास्ता चालू है। रास्ता में दर्ज कृषि भूमि में मौका पर खाला चल रहा है व न ही उक्त रास्ता से किसी भी प.नं. के रास्ता से मिलान होता है। मात्र राजस्व रिकार्ड में ही रास्ता दर्ज है।

यह कि प्रार्थी सं. 2 के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 23 एमओडी प्रथम के खाता सं. 68/53 के प.नं. 31268 (27) किला नं. 1, 10 की 0.506 हैक. नहरी खातेदारी कृषि भूमि दर्ज रिकार्ड वाके है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2026.03.24 16:22:00 IST
Reason: SelfAttested

यह कि प्रार्थीगण के पास अपनी भुमि में आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। प्राथीगण अपनी भुमि में आने जाने के लिए अप्रार्थी सं. 1 व 2 के नाम दर्ज कृषि भूमि में से चक 23 एमओडी – प्रथम के प.नं. 2/267 (18) किला नं. 1/1 में 0.016 हैक. व किला नं. 10, 11, 20 प्रत्येक में 0.019–0.019 हैक. व किला नं. 21/1 में 0.018 हैक. बजानिब पश्चिम दिशा में उतर से दक्षिण लम्बा रास्ता से होता हुआ अपनी कृषि भूमि के किला नं. 1 में प्रवेश करते है प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मिन अप्रार्थीगण की कृषि भूमि में से रास्ता स्वीकृत

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

किया जाता है तो मिन अप्रार्थीगण को कोई आपति व एतराज नही होगा । रास्ता में आई कृषि भूमि अप्रार्थी सं.1 गोपीराम की कम होगी व प्रार्थीगण उक्त रास्ता में आई कृषि भूमि की एवज में अपने नाम दर्ज भूमि में से चक 23 एमओडी प्रथम के खाता सं. 68/53 के प.नं. 3/268 (27) किला नं. 10 में से 0.126 हैक. कृषि भूमि अप्रार्थी सं. 1 गोपीराम को देने के लिये तैयार है व उक्त 0.126 हैक. भूमि प्रार्थी सं. 2 राजाराम पुत्र मनीराम की कम की जाकर अप्रार्थी सं. 1 गोपीराम के नाम दर्ज की जावे अतः राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि मुताबिक राजीनामा प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जावे।

राजीनामा तस्दीक कर शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण में तहसीलदार पीलीबंगा से तथ्यात्मक रिपोर्ट पत्रांक 867 दिनांक 18.11.2025 से प्राप्त हुई है मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार अनुसार प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता मौके पर चालू नहीं हैं। प्रार्थीगण द्वारा समस्त काश्तकारान् को पक्षकार बनाया गया हैं । प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं लगता हैं। प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते से अन्य कम दूरी का रास्ता नही है। प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर चालु नही है।

आदेश

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गई बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया चुंकि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य राजीनामा एवं तहसीलदार पीलीबंगा की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251–क स्वीकार कर आदेश पारित किया जाता है कि –चक 23 एमओडी–प्रथम के प.नं. 2/267 (18) किला नं. 1/1 में 0.016 हैक. व किला नं. 10, 11, 20 प्रत्येक में 0.019–0.019 हैक. व किला नं. 21/1 में 0.018 हैक. बजानिब पश्चिम दिशा में उतर से दक्षिण लम्बा रास्ता स्वीकृत किया जाता है। प्रतिकर के रूप में अप्रार्थीगण को रास्ता में आई कृषि भूमि की एवज में प्रार्थी संख्या 2 के नाम दर्ज भूमि चक 23 एमओडी प्रथम के खाता सं. 68/53 के प.नं. 3/268 (27) किला नं. 10 में से 0.126 हैक. कृषि भूमि अप्रार्थी सं. 1 गोपीराम के नाम दर्ज करने के आदेश पारित किये जाते है।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होनें, की दशा में आदेशों की पालाना में राजस्व रिकार्ड अमलदरामद करे।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो । आदेश को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में दिनांक 29/1/26 सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2026.03.24 16:22:00 IST
Reason: SelfAttested

(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम् सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर पीलीबंगा